

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 152/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00161)

1. श्रीमति त्रिवेणी उम्र वर्ष पत्नि रामावतार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लाहडी का बास तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार रामगढ पचवारा तहसील रामगढ पचवारा जिला दौसा।

—रेस्पोंडेन्ट्स

द्वितीय अपील अ0 धारा 76 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरुद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 18.01.2016 एवं विरुद्ध आदेश नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 4.11.2015

उपस्थित—

1. श्री वी.पी. नागर, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 की ओर से

निर्णय

दिनांक —08.10.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.01.2016 एवं नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 4.11.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम लाहडी का बास तहसील रामगढ पचवारा में स्थित गैर मुमकिन नला की भूमि हाल खसरा नंबर 196/148 पूर्व खसरा नंबर 148/1/2 रकबा 5 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 04.11.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर दण्डित किया गया। अपीलान्ट द्वारा नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 04.11.2015 से व्यथित होकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के यहां अपील प्रस्तुत की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने निर्णय दिनांक 18.01.2016 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 04.11.2015 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये हैं।
3. अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.01.2016 एवं नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 04.11.2015 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमति त्रिवेणी द्वारा यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा के निर्णय दिनांक 18.01.2016 एवं नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के निर्णय दिनांक 04.11.2015 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 के संलग्न प्रमाणित दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाता है।
5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील भीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम लाहडी का बास तत्कालीन तहसील लालसोट वर्तमान तहसील रामगढ पचवारा एवं तत्पश्चात परिवर्तित वर्तमान तहसील राहुवास में स्थित सिवायचक भूमि खसरा नम्बर 148/1/2 रकबा 10 बीघा पर 60 साल से भी अधिक समय से त्रिवेणी पत्नि रामावतार का कब्जा चला आ रहा है और उस पर निरन्तर काश्त करती चली आ रही है। वास्तव में यह भूमि उसकी खातेदारी की भूमि थी परन्तु रिकॉर्ड में सिवायचक अंकन हो गया और अपीलान्ट ने काफी लागत लगाकर इस भूमि को कृषि योग्य व उपजाऊ बनाया। इसके समीप ही अपीलान्ट के पति रामावतार की खातेदारी भूमि है जिसमें बोरिंग लग रहा है। उससे सिंचाई करके वादग्रस्त उक्त भूमि में

दोनों फसले काश्त की जा रही है। परन्तु रिकॉर्ड में उक्त भूमि का गलत इन्द्राज सिवायचक हो रहा है इसलिए पटवारी हल्का ने सन 1998 में तहसीलदार लालसोट के समक्ष धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट कर दी। इस केस में दीर्घकालीन कब्जे व अधिकार के विश्वसनीय प्रमाण पेश करने पर भी तहसीलदार लालसोट ने तारीख 28.08.98 को यह आदेश फरमाया कि दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर उक्त भूमि का आंवटन त्रिवेणी रामावतार के पक्ष में कर दिया जावे तथा इस सिफारिश के साथ आंवटन हेतु पत्रावली को अध्यक्ष भू आंवटन कमेटी सहायक कलेक्टर लालसोट को भेज दिया। परन्तु सहायक कलेक्टर लालसोट ने आंवटन हेतु की गई इस सिफारिश को इस आधार पर नहीं माना कि आराजी गै0 मु0 नाला है तथा आंवटन कमेटी का एक सदस्य ग्राम पंचायत का सरपंच भी है वह सहमत नहीं है, इसलिये तारीख 15.5.99 को सहायक कलेक्टर लालसोट ने अपीलान्ट के आंवटन प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। सहायक कलेक्टर लालसोट एवं अध्यक्ष भू आंवटन कमेटी के उक्त आदेश तारीख 15.5.99 के विरुद्ध एक अपील संख्या 57/99 श्रीमति त्रिवेणी ने न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के न्यायालय में पेश होने पर न्यायालय भूप्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर के न्यायालय में पेश होने पर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी महोदय जयपुर कैम्प दौसा ने राकेश बनाम सरकार अपील संख्या 53/99 व श्रीमती त्रिवेणी देवी बनाम सरकार अपील संख्या 57/99 नामक दोनों अपीलों को संयुक्त निर्णय द्वारा तारीख 16.08.1999 को स्वीकार फरमाकर और आदेश फरमाया कि अपीलार्थी का कदीम से कब्जा होने के कारण तहसीलदार लालसोट की अभिशंषा स्वीकार की जावे व विवादित आराजी का नियमन अपीलांट के हक में करने के निर्देश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का ने तत्कालीन तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट सन 2015 में कर दी जिस पर तहसीलदार रामगढ पचवारा ने राकेश के विरुद्ध भी तारीख 4.11.2015 को मुकदमा नम्बर 137/2015 सरकार बनाम त्रिवेणी बनाकर एक पक्षीय निर्णय तारीख 4.11.2015 को बेदखल करने व 50 गुणा पेनल्टी से दण्डित करने का आदेश पारित कर दिया। तत्कालीन तहसीलदार रामगढ पचवारा के आदेश दिनांक 4.11.2015 के विरुद्ध श्रीमति त्रिवेणी ने राजस्व अपील प्रकरण संख्या 123/2015 जिसे तारीख 18.1.2016 को खारिज कर दिया और तत्पश्चात पुर्नविचार याचिका पेश की गई वह पुर्नविचार याचिका भी तारीख 12.7.2016 को खारिज कर दी गई। न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर बैंच दौसा ने अपील संख्या 57/99 व अपील संख्या 53/99 में दिनांक 16.08.1999 को यह आदेश फरमा दिया गया है कि अपीलार्थी का कदीम (दीर्घकालीन) कब्जा होने के कारण तहसीलदार लालसोट ने नियमन या आंवटन करने की जो अभिशंषा की है उसे स्वीकार किये जाने का आदेश दे दिया और अपीलार्थी के पक्ष में नियमन करने का भी निर्देश फरमा दिया। श्रीमान का यह आदेश इन्हीं अपीलार्थी के पक्ष में और इसी भूमि के संबंध में पारित किया गया है इसलिए कानूनन माननीय न्यायालय का आदेश रिसज्यूडीकेटा या बाध्यकारी आदेश है और उस आदेश की रक्षा हेतु इस अपील को भी स्वीकार कर तहसीलदार रामगढ पचवारा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का आदेश निरस्तनीय है तथा उन्हे पूर्व आदेश दिनांक 16.8.1999 की पालना में करने के लिए आदेश फरमाया जावे अन्यथा तहसीलदार रामगढ पचवारा एवं वर्तमान तहसीलदार की राहुवास के विरुद्ध अवमानना की कार्यवाही की जावे। अपीलान्ट को धारा 91 लै0रे0एक्ट की कार्यवाही का कोई नोटिस नहीं मिला तथा उन्हें सुनवाई व सबूत का अवसर नहीं दिया गया इसलिए भी एक पक्षीय आदेश निरस्तनीय है। क्योंकि एकपक्षीय आदेश हो जाने के बाद भी शहादत लेकर रिकॉर्ड देखकर व विधिवत जांच कर ही निर्णय पारित करने का प्रावधान है। इसलिए भी अपील स्वीकार फरमाकर तहसीलदार रामगढ पचवारा व अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा का आदेश निरस्त फरमावे। अपीलान्ट ने एसडीओ कोर्ट लालसोट के समक्ष वादग्रस्त भूमि की खातेदारी व दुरुस्ती इन्द्राज का दावा कर रखा है। दावा पेश करने के बाद रामगढ पचवारा को नया उपखण्ड बना दिया। अतः उक्त दावे का उपजिला कलेक्टर महोदय रामगढ पचवारा ने ट्रांसफर कर दिया। अतः अपीलान्ट का दावा उपजिलाधिकारी महोदय रामगढ पचवारा के न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिये भी धारा 91 लै0रे0एक्ट के तहत यह समरी प्रोसेडिंग चलने योग्य नहीं है। अपीलान्ट ने अपनी अपील के समर्थन में कई दस्तावेज उपखण्ड अधिकारी लालसोट, तहसीलदार लालसोट, जिला कलेक्टर महोदय दौसा, ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र व पटवारी आदि की रिपोर्ट पेश किये हैं। उक्त दस्तावेजात में नियमन की सिफारिश है तथा विवादित भूमि पर पानी का बहाव या ठहराव नहीं होना बताया है तथा ग्राम

पंचायत को भी नियमन करने में कोई आपत्ति नहीं है। उक्त सब ही दस्तावेजों से अपीलान्त का पुराना कब्जा होना ग्राम पंचायत को नियमन में कोई आपत्ति न होना तथा बरसात के मौसम में पानी का बहाव या ठहराव न होना तथा भूमि के नियमन में कोई आपत्ति न होना सिद्ध है। अतः अपीलान्त ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अतः अपील पेश कर विनम्र निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाने की कृपा करें एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा दिनांक 18.01.2016 और आदेश नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा दिनांक 4.11.2015 को निरस्त फरमावे एवं आदेश दिनांक 16.08.1999 अनुसार रिकॉर्ड में बारानी दायम दर्ज कर नियमन व आंवटन का आदेश फरमावे।

6. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट नं. 1 ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम लाहडी का बास तहसील रामगढ पचवारा में स्थित गैर मुमकिन नला की भूमि हाल खसरा नंबर 196/148 पूर्व खसरा नंबर 148/1/2 रकबा 5 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। भूमि पर अतिक्रमण करने पर अपीलान्त अतिक्रमी के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्त अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से दिनांक 04.11.2015 को बेदखल कर 50 गुणा शास्ती कायम कर बेदखल किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्पक है। अतः अपील अपीलान्त में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।
7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का डोब द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध एक रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा के समक्ष इस आशय की पेश की गई कि अपीलान्त अतिक्रमी द्वारा ग्राम लाहडी का बास तहसील रामगढ पचवारा में स्थित गैर मुमकिन नला की भूमि हाल खसरा नंबर 196/148 पूर्व खसरा नंबर 148/1/2 रकबा 5 बीघा पर काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार रामगढ पचवारा ने अपीलान्त के विरुद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्णय दिनांक 04.11.2015 पारित कर अपीलान्त को बेदखल कर 50 गुणा शास्ति कायम कर दण्डित करने के आदेश पारित किया गया है। अतिक्रमी के विरुद्ध विधिवत नोटिस जारी किया गया है। तथा अपीलान्त की विधिवत तामील हुई है। अतिक्रमी अपीलान्त को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर साक्ष्य, सबूत पेश करने चाहिये थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये जाकर व रिपोर्ट बेदखली नामा व दैनिक डायरी आदि का अलवोकन कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। कानूनन राजकीय गैर मुमकिन नला की भूमि पर अतिक्रमण का अधिकार किसी को भी प्रदत्त नहीं है और यह कृत्य दण्डनीय है। राजकीय गैर मुमकिन नला की भूमि पर अतिक्रमण करने की प्रवृत्ति को रोकने एवं अंकुश लगाने के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेशों में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार के प्रकरण में पारित निर्णय के अनुसार भी गैर मुमकिन नला की भूमि का आंवटन/नियमन नहीं किया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.2016 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त राजकीय आयुक्त
(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. सभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 08.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अतिरिक्त राजकीय आयुक्त
अति. सभागीय आयुक्त,
जयपुर